

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पस नोट संख्या: 54, दिनांक 18-02-2024

थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर के मु0अ0सं0 75/2024 धारा 286 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 में वांछित टाईमर बम तैयार कराने वाली महिला को एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 17-02-2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को टाईमर बम तैयार कराने वाली मास्टर माइण्ड इमराना को जनपद मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

इमराना पत्नी आजाद निवासी ग्राम-बन्तीखेडा, थाना बाबरी, जनपद शामली हॉल पता-198/30 कालीनदी पुलिस के पास प्रेमपुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक:-

198/30 काली नदी पुलिस के पास प्रेमपुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर, दिनांक-17.02.2024 समय 16.45 बाजे ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 मेरठ की एक टीम उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, मुख्य आरक्षीगण जोशी राणा, जयवर्धन, प्रीतम भाटी एवं हे0कां0 विवेक पंवार आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद मुजफ्फरनगर में मामूर थी कि मुखबिर एवं सहयोगी केन्द्रीय अभिसूचना एजेन्सी के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0 75/2024 धारा 286 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 में वांछित टाईमर बम तैयार कराने वाली इमराना अपने घर पर मौजूद हैं, यदि जल्दी की जाये तो पकडी जा सकती है।

इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंच कर मुखबिर की निशादेही पर इमराना पत्नी आजाद निवासी ग्राम-बन्तीखेडा, थाना बाबरी, जनपद शामली हॉल पता-198/30 काली नदी पुलिस के पास प्रेमपुरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि मैं गांव निरमाना, थाना शाहपुर जनपद मु0नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता शकूर थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरी शादी करीब 30 वर्ष पहले आजाद पुत्र इजराईल निवासी बन्तीखेडा, थाना बावरी, जनपद शामली से हुई थी। मेरे तीन बच्चे पैदा हुए। बड़ी लड़की रूकसार पत्नी नदीम नि0 सरस्वती बिहार, हरिद्वार रोड, देहरादून में रहती है। एक लड़का मोनू 24 वर्ष का था जिसकी 6 माह पहले अटैक से मृत्यु हो चुकी है तथा उससे छोटा लड़का सोनू 21 वर्ष का है, जो कपड़े का काम करता है। मेरे पति पहले लकड़ी का काम करते थे, अब पशु पालते हैं। लगभग 20-22 वर्ष से मैं अपने पति के साथ मकान लेकर मौहल्ला प्रेमपुरी काली नदी के पुल के पास मु0नगर में रह रही हूँ तथा ससुराल बन्ती खेडा में आती जाती रहती हूँ। मैं साईबाबा के आर्शीवाद से मंगलवार व शक्रवार को गांव बन्तीखेडा जाती हूँ तथा वहा झाड़ फूक व दवाई देने का काम करती हूँ। मेरे पास सभी तरह के लोग आते रहते हैं। मैं करीब 20 वर्ष पहले से जावेद को जानती हूँ। उसके पिता जरीफ अहमद हकीम थे, जिनसे मैं अपनी व अपने पति की दवाई लेने उनके घर आती-जाती थी। जावेद भी मुझे वहीं पर मिल जाता था। जावेद की माँ नेपाल की रहने वाली है। जावेद के चाचा अर्शी लाईसैंस पर पटाखे बनाने का काम करते थे, जावेद भी उनके पास पटाखे बनाने का काम करता था। करीब 12-13 वर्ष पहले मैंने जावेद से दो बम लिये थे जो मैंने अपने घर पर रख लिये थे। एक बम की बत्ती निकल गयी थी कोई बड़ी घटना न हो जाये इस डर के कारण मैंने उन्हें काली नदी में फेंक दिया था।

वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर में हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हो गया था तो हिन्दूओ ने मेरा घर जला दिया था, जिसमें मेरा काफी नुकसान हो गया था, जिसे लेकर मुझमे काफी गुस्सा था। इसके बाद मैंने जावेद पुत्र जरीफ से मुलाकात कर कुछ बम बनवाये थे ताकि आगे कोई झगड़ा हो तो उसमें काम आयेंगे। वह बम मैंने काफी समय पहले अपने मिलने वाले कुछ लोगों को दे दिये थे, जिनको मैंने दिये थे। उनके नाम पता मैं अब नहीं जानती हूँ। इस बार मैंने करीब 15 दिन पहले जावेद से 10 बम बनाने के लिए कहा था, सोचा था कि कोई झगड़ा व दंगा होगा तो काम आयेंगे। जावेद मीरापुर से अपने जानने वाले के पास से बारूद लाकर बम बनाता है। इस बार बारूद कम मिलने के कारण जावेद 5 ही बम बना पाया था। जावेद ने यह भी बताया था कि एक बम गर्म होकर खराब हो गया था, जिसे काली नदी में फेंक दिया था। जावेद परसो मेरे पास 4 बम लेकर आ रहा था कि पुलिस ने उसे रास्ते मे ही पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0 75/2024 धारा 286 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।